रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012026-269352
CG-MH-E-15012026-269352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

मुंबई 13 जनवरी, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026

अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी) को अधिक्रमित करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गये अथवा छोड़े गये कार्यों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगी ।

2. परिभाषाएं.- (1) इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ए) “अधिनियम” का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(बी) “प्राधिकृत व्यापारी” का अर्थ है अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति;

(सी) “निर्यात घोषणा फॉर्म” (ईडीएफ़) का अर्थ है अनुबंध में दिया गया फॉर्म;

(डी) “परियोजना निर्यात” का अर्थ वही होगा जैसा कि विदेश व्यापार नीति में परिभाषित किया गया है;

(ई) “सॉफ्टवेयर” का अर्थ है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, रेखांकन, डिज़ाइन, श्रव्य/दृश्य संकेतक या कोई अन्य सूचना, चाहे उसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाता हो, भौतिक माध्यम से भिन्न किसी अन्य माध्यम से;

(एफ) ”विनिर्दिष्ट प्राधिकारी” का अर्थ है:

(i) माल के लिए, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में सीमा शुल्क आयुक्त तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में एसईज़ेड के विकास आयुक्त;

(ii) सेवाओं, सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त, के लिए डीटीए में प्राधिकृत व्यापारी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में एसईज़ेड के विकास आयुक्त; तथा

(iii) सॉफ्टवेयर के लिए डीटीए में सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) या प्राधिकृत व्यापारी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में एसईज़ेड के विकास आयुक्त।

स्पष्टीकरण.- इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए, 'सेवाओं' में 'सॉफ्टवेयर' भी शामिल होगा।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में उनके लिए दिया गया है।

3. निर्यात की घोषणा.- (1) माल का निर्यातक, निर्यात करते समय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यात घोषणा फॉर्म(ईडीएफ़) में माल के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह मान लिया जाएगा कि ईडीएफ़, एलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) पोर्ट के माध्यम से निर्यात किए गए माल के लिए शिपिंग बिल के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है;

बशर्ते यह भी कि कोई यात्री जो भारत से अपना निजी सामान (चाहे वे उनके साथ हो या अलग से भेजे गए हों) भेज रहा हो उसे इन विनियमों के प्रयोजन से निर्यातक नहीं माना जाएगा।

(2) सेवाओं का निर्यातक, जिस माह में सेवाओं के लिए इन्वाइस जारी किया गया हो उस माह की समाप्ती से 30 दिन के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ईडीएफ़ में सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा प्रस्तुत करेगा, बशर्ते यह कि:

(ए) सेवाओं के जिस निर्यातक ने माह में एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को सेवाओं का निर्यात किया है, वह इन सभी निर्यातों के लिए एक ही ईडीएफ़ प्रस्तुत कर सकता है;

(बी) सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य सेवाओं का निर्यातक, भुगतान प्राप्त होने की तारीख को या उससे पहले ईडीएफ प्रस्तुत कर सकता है;

(सी) प्राधिकृत व्यापारी, निर्यातकर्ता द्वारा विलंब का कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, अनुरोध के औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात ईडीएफ़ प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार दे सकता है।

(3) माल के निर्यात के लिए गैर-ईडीआई पोर्ट के मामले में; या जहाँ सेवाओं के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्राधिकृत व्यापारी से कोई अन्य है, वहाँ विधिवत रूप से अधिप्रमाणित ईडीएफ़, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को प्रेषित किया जाएगा।

4. प्राप्ति और भुगतान का तरीका.- (1) माल और सेवाओं के निर्यात तथा आयात के लिए प्राप्ति एवं भुगतान समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत व्यापारी निर्यात की प्राप्ति अथवा आयात के भुगतान के लिए किसी निर्यातक अथवा आयातक के खाते में क्रेडिट अथवा डेबिट केवल तब ही करेगा जब वह लेनदेन की यथार्थता से संतुष्ट हो और उसके साथ ही निर्यात डेटा संसाधन

और निगरानी प्रणाली या आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस या आईडीपीएमएस)[1] में संबंधित प्रविष्टि को बंद या अद्यतन करेगा:

बशर्ते कि निर्यात के मामले में जहां शिपिंग बिल (माल के लिए) अथवा इन्वाइस (सेवाओं के लिए) ₹10 लाख (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) तक है वहाँ ईडीपीएमएस में की गई प्रविष्टि को निर्यातक से इस आशय की घोषणा के आधार पर बंद किया जा सकता है कि शिपिंग बिल/ इन्वाइस के समक्ष भुगतान पूर्णतः अथवा अन्यतः प्राप्त हुआ है । वैकल्पिक रूप से इस प्रकार की घोषणा ईडीपीएमएस में प्रविष्टियों को थोक आधार पर बंद करने के लिए निर्यातक द्वारा तिमाही आधार पर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत की जा सकती है;

बशर्ते यह भी कि आयात के मामले में जहां प्रवेश बिल (माल के लिए) अथवा इन्वाइस (सेवाओं के लिए) ₹10 लाख (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) तक है वहाँ आईडीपीएमएस में की गई प्रविष्टि को आयातक से इस आशय की घोषणा के आधार पर बंद किया जा सकता है कि आयात के लिए भुगतान पूर्णतः अथवा अन्यतः किया गया है। वैकल्पिक रूप से इस प्रकार की घोषणा आईडीपीएमएस में प्रविष्टियों को थोक आधार पर बंद करने के लिए आयातक द्वारा तिमाही आधार पर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

5. निर्यातों की वसूली के लिए समयावधि.- (1) निर्यातक द्वारा माल तथा सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य (अथवा इस विनियमावली के विनियम 6 के अनुसार कम किए गए निर्यात मूल्य) को दर्शाने वाली राशि वसूल कर (इस विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार सेट ऑफ की गई राशि को शामिल करते हुए) नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित की जाएगी:

(ए) माल (भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम में निर्यात किए गए माल को छोड़कर) के मामले में शिपमेंट की तारीख से तथा सेवाओं के मामले में इन्वाइस की तारीख से पंद्रह महीने;

(बी) भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम में निर्यात किए गए माल के मामले में गोदाम से माल की बिक्री की तारीख से पंद्रह महीने;

(सी) परियोजना निर्यातों के मामले में संविदा की भुगतान शर्तों के अनुसार:

बशर्ते यह कि जहां माल तथा सेवाओं का निर्यात भारतीय रुपये में इन्वाइस या/ तथा निपटान किया गया हो, वहाँ पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली तथा प्रत्यावर्तन की अवधि, माल (भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम में निर्यात किए गए माल को छोड़कर) के मामले में शिपमेंट की तारीख से, सेवाओं के मामले में इन्वाइस की तारीख से, और भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम में निर्यात किए गए माल के मामले में गोदाम से माल की बिक्री की तारीख से, अठारह महीने होगी;

बशर्ते यह भी कि प्राधिकृत व्यापारी निर्यातक द्वारा विलंब का कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, दिये गए कारणों से संतुष्ट होने पर, निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की वसूली के लिए विनिर्दिष्ट अवधि में समय विस्तार की अनुमती दे सकता है।

(2) प्राधिकृत व्यापारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात की राशि की वसूली के लिए निर्यातक की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रणालियाँ तथा प्रक्रिया स्थापित करेगा।

6. निर्यात वसूली में कमी.- प्राधिकृत व्यापारी निर्यातक द्वारा निर्यात के पूर्ण मूल्य से कम-वसूली अथवा वसूली न होने का कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर निर्यात मूल्य की वसूली में कमी के लिए अनुमती दे सकता है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी दिये गए कारणों से संतुष्ट है:

बशर्ते कि उस मामले में जहां निर्यात मूल्य प्रति शिपिंग बिल (माल के लिए) अथवा इन्वाइस (सेवाओं के लिए) ₹10 लाख (या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य) तक है, वहाँ निर्यात मूल्य में कमी (पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली न होने सहित) के लिए निर्यातक की घोषणा के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।

7. निर्यात से प्राप्य राशियों का आयात से देय राशियों से सेट ऑफ.- प्राधिकृत व्यापारी निर्यात से प्राप्य राशियों की, निर्यात राशि की वसूली के लिए निर्धारित अवधि अथवा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर उसी पारदेशीय खरीदार या आपूर्तिकर्ता अथवा उनके पारदेशीय समूह या सहयोगी कंपनियों से/ को आयात संबंधी देयताओं के समक्ष सेट ऑफ करने की अनुमति दे सकता है।

---

[1]ईडीपीएमएस तथा आईडीपीएमएस इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रणाली को भी संदर्भित करेंगे।

8. तृतीय पक्ष प्राप्तियाँ तथा भुगतान.- प्राधिकृत व्यापारी निर्यात तथा आयात संबंधी लेनदेन के लिए तृतीय पक्ष (निर्यात तथा आयात करने वाली पार्टियों को छोड़कर) से प्राप्तियाँ तथा भुगतान की अनुमति दे सकता है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की यथार्थता से संतुष्ट है।

9. आयात के भुगतान के लिए समयावधि.- प्राधिकृत व्यापारी अपनी आईडीपीएमएस प्रविष्टियों की निगरानी करेगा तथा संबंधित आयातक के साथ अंतर्निहित संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयातों के लिए भुगतान करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करेगा:

बशर्ते यह कि प्राधिकृत व्यापारी आयातक द्वारा विलंब का कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, दिये गए कारणों से संतुष्ट होने पर, भुगतान करने के लिए संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि से समय विस्तार की अनुमती दे सकता है।

10. निर्यात तथा आयात के लिए अग्रिम भुगतान तथा आयात के लिए विलंबित भुगतान.- (1) निर्यात के लिए अग्रिम प्राप्ति के मामले में निर्यातक अग्रिम राशि और निर्यात से प्राप्य राशियों की वसूली, यदि कोई हो, एक ही प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से करेगा। तथापि निर्यातक किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से लेनदेन कर सकता है बशर्ते निर्यातक ने दोनों प्राधिकृत व्यापारियों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया हो।

(2) आयातों के लिए अग्रिम भुगतान के मामले में आयातक अग्रिम भुगतान और उसके बाद के भुगतान, यदि कोई हो, एक ही प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से करेगा। तथापि आयातक किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से लेनदेन कर सकता है बशर्ते आयातक ने दोनों प्राधिकृत व्यापारियों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया हो।

(3) प्राधिकृत व्यापारी आयात के लिए अग्रिम प्रेषण के लिए अनुमति तब दे सकता है जब वह अग्रिम प्रेषण की आवश्यकता की यथार्थता से संतुष्ट हो। प्राधिकृत व्यापारी अग्रिम भुगतान के लिए ऐसी सीमाएं निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिनसे अधिक भुगतान करने के लिए आपाती साख पत्र या गारंटी की आवश्यकता हो।

(4) निर्यातक या आयातक, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतान अथवा आयात के लिए किए गए विलंबित भुगतान पर देय ब्याज, यदि कोई हो, समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली 2018 के अनुसार व्यापार ऋण की समग्र लागत सीमा से अधिक नहीं है।

11. स्वर्ण तथा चाँदी का आयात.- अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली, विनियमावली अथवा निदेशों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर तथा इस विनियमावली के प्रावधानों के होते हुए, कोई प्राधिकृत व्यापारी स्वर्ण तथा चाँदी के आयात हेतु अग्रिम प्रेषण के लिए अनुमति नहीं देगा।

12. साकार नहीं हुए आयात.- (1) जहां कोई आयातक संविदा की अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर आयात नहीं कर पाता है, वहाँ आयातक किए गए अग्रिम भुगतान यदि कोई हो, को प्रत्यावर्तित करेगा।

(2) संविदा की अवधि अथवा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर आयातक द्वारा अग्रिम भुगतान को प्रत्यावर्तित नहीं किए जाने के मामले में अथवा जहां आईडीपीएमएस में की गई प्रविष्टि को विनियम 18 (1)(जे) के अनुसार मार्क-ऑफ नहीं किया गया हो, वहाँ आयातक द्वारा आयात के लिए भावी अग्रिम भुगतान हेतु किसी भी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक से शर्तरहित अप्रतिसंहरणीय आपाती साख पत्र या गारंटी, या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की गारंटी जिसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक की प्रति गारंटी के समक्ष जारी किया गया है, आवश्यक होगी।

13. वसूल न हुए निर्यात.- यदि निर्यातक की निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि, वसूली की नियत तारीख अथवा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, से एक वर्ष से अधिक अवधि तक अप्राप्त रहती है, तो निर्यातक, बाद के निर्यात केवल पूर्ण अग्रिम राशि की प्राप्ति अथवा अप्रतिसंहरणीय साख पत्र के समक्ष करेगा।

14. स्टेट क्रेडिट की चुकौती के समक्ष वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात.- अंतर बैंकिंग व्यवस्था के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत व्यापारी पूर्व सोवियत संघ द्वारा प्रदान किए गए स्टेट क्रेडिट की चुकौती के समक्ष वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों तथा निदेशों का पालन करेंगे।

15. परियोजना निर्यात.- (1) प्राधिकृत व्यापारी, परियोजना की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद, परियोजना निर्यात की अंतर्निहित संविदा के अनुसार प्राप्तियों/ भुगतान की अनुमति दे सकता है।

(2) परियोजना निर्यातक, इस प्रकार के निर्यातों से भारत के बाहर जनित अस्थायी नकद अधिशेष राशियों का, प्राधिकृत व्यापारी की निगरानी के अधीन, भारत के बाहर अल्पावधि लिखतों (एक वर्ष या उससे कम अवधि की मूल या अवशिष्ट परिपक्वता वाले) राजकोषीय बिल सहित, में निवेश तथा बैंकों में जमा के लिए उपयोग कर सकता है।

16. मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन (एमटीटी).- (1) विदेश व्यापार नीति के अनुसार मर्चेंटिंग व्यापार करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि:

(ए) जावक प्रेषण तथा आवक प्रेषण के बीच अथवा इसके विपरीत की अवधि, छः महीने से अधिक नहीं हो :

बशर्ते यह कि प्राधिकृत व्यापारी, विलंब का कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, दिये गए कारणों से संतुष्ट होने पर समय विस्तार की अनुमति दे सकता है।

(बी) जावक प्रेषण केवल पारदेशीय विक्रेता को भेजे गए हैं तथा आवक प्रेषण केवल पारदेशीय क्रेता से प्राप्त हुए हैं:

बशर्ते यह कि प्राधिकृत व्यापारी, ग्राहक द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्ति तथा/ अथवा को भुगतान करने के लिए अनुरोध करने पर, दिये गए कारणों से संतुष्ट होने पर, अनुमति दे सकता है।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी को लेनदेन की यथार्थता स्थापित करने हेतु एमटीटी की साक्ष्य देनेवाले दस्तावेज़ प्रदान किए गए हैं।

(2) प्राधिकृत व्यापारी :

(ए) सीमा-पार लेनदेन की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद एमटीटी से संबंधित किसी भी लेनदेन के लिए अपने ग्राहक के खाते में क्रेडिट या डेबिट करेगा तथा साथ ही ईडीपीएमएस और/या आईडीपीएमएस में संबंधित प्रविष्टि को बंद या अद्यतन करेगा।

(बी) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन-देन के दोनों चरण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए तरीके से और अवधि के भीतर पूर्ण किए गए हैं, निगरानी और व्यापार करने वाले व्यक्ति के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

17. अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये (INR) में इन्वाइसिंग और निपटान.- प्राधिकृत व्यापारी व्यापक ढांचे पर मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों से मार्गदर्शित हो सकता है।

18. रिपोर्टिंग.- (1) ईडीपीएमएस (निर्यात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली) तथा आईडीपीएमएस (आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली) -

प्राधिकृत व्यापारी:

(ए) गैर-ईडीआई (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज) पोर्ट से प्राप्त ईडीएफ (अपने ग्राहकों के) का विवरण, ईडीएफ की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर ईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।

(बी) सेवा के ईडीएफ (अपने ग्राहकों के) का विवरण निर्यातक से ईडीएफ प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर ईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।

(सी) गैर-ईडीआई पोर्ट से प्राप्त आयात (अपने ग्राहकों के) का ब्यौरा दस्तावेजों की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर आईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।

(डी) आयातक द्वारा घोषित और प्रस्तुत सेवा के आयात का ब्यौरा, दस्तावेजों की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर आईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।

(ई) निर्यातों, आयातों और मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन (एमटीटी) के लिए सभी आवक और जावक प्रेषण का विवरण ईडीपीएमएस तथा / या आईडीपीएमएस में दर्ज करेगा।

(एफ) बकाया प्रविष्टियों को बंद करने के लिए ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में सभी लेनदेन की निगरानी करेगा और इसके लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्यातक, आयातक और एमटीटी करने वाले व्यक्ति के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

प्रविष्टियों को मार्क-ऑफ/ बंद करना:

(जी) निर्यात के मामले में, निर्यात मूल्य प्राप्त हो गया है यह सुनिश्चित करने के बाद ईडीपीएमएस में प्रविष्टि को मार्क-ऑफ करेगा।

(एच) आयात के मामले में, आयात के लिए भुगतान किया गया है यह सुनिश्चित करने के बाद आईडीपीएमएस में प्रविष्टि को मार्क-ऑफ करेगा।

(आई) ईडीपीएमएस में निर्यात अग्रिम से संबंधित प्रविष्टि को, जहां निर्यात नहीं किया गया है और जहां ऐसे अग्रिम की वापसी संभव नहीं है, वहाँ निर्यातक द्वारा कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, दिये गए कारणों की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद, बंद कर सकता है।

(जे) आईडीपीएमएस में आयात अग्रिम से संबंधित प्रविष्टि को, जहां आयात नहीं हुआ है और जहां ऐसे अग्रिम का प्रत्यावर्तन संभव नहीं है वहाँ आयातक द्वारा कारण देते हुए किए गए अनुरोध पर, दिये गए कारणों की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद, बंद कर सकता है।

(के) जहां आयात लेनदेन को कम मूल्य पर निपटाया गया है वहाँ आयातक के अनुरोध पर, दिये गए कारणों की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद, आईडीपीएमएस में प्रविष्टि को बंद कर सकता है।

(एल) एमटीटी के मामले में, एमटीटी के दोनों चरणों के लिए प्राप्ति और भुगतान करने के बाद ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में संबंधित प्रविष्टि को बंद या अद्यतन करेगा।

(2) प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम (एफईटीईआरएस) में सभी विदेशी व्यापार लेनदेन की रिपोर्टिंग करेगा।

19. लेन-देन करने के लिए आंतरिक नीति और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी).- (1) प्राधिकृत व्यापारी अधिनियम तथा उसके तहत जारी की गई नियमावली, विनयमावली और निदेशों के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात के साथ-साथ एमटीटी से संबंधित लेनदेन (उसकी रिपोर्टिंग सहित) करने के लिए एक अलग, व्यापक, सुप्रलेखित आंतरिक नीति और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करेगा। नीति में कम से कम निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(ए) प्रत्येक प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए दस्तावेजों की सूची, समय-सीमा और प्रभार।

(बी) निर्यात प्राप्ति और प्रत्यावर्तन/आयात भुगतान के लिए समय-अवधि का विस्तार।

(सी) वसूल की जाने वाली और प्रत्यावर्तित की जानेवाली निर्यात राशियों का समायोजन (कम, अधिक और वसूली न होने वाली) ।

(डी) निर्यातों के लिए अग्रिम प्राप्तियां और आयातों के लिए अग्रिम भुगतान।

(ई) प्रत्येक प्रक्रिया हेतु आंतरिक अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(एफ) निर्यात आढ़त(फैक्टरिंग) और आयात आढ़त(फैक्टरिंग)।

(2) आंतरिक नीति और एसओपी निर्धारित करते समय, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेन-देन को मंजूरी देने का दायित्व आंतरिक स्तरों पर स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजित किया गया है। नीति और एसओपी में ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए वृद्धि प्रक्रिया और अपील तंत्र भी होगा, जिसमें अपील पर उच्च आंतरिक स्तर पर कार्रवाई की जाती हो। उच्च आंतरिक स्तर को ग्राहक द्वारा की गई प्रस्तुतियों की यथार्थता के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।

(3) प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेन-देन और संबन्धित प्रक्रियाओं के लिए लगाए गए प्रभार, प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित और आनुपातिक हैं। प्राधिकृत व्यापारी अपने घटक (निर्यातक या आयातक या मर्चेंटिंग व्यापारी) पर, घटक द्वारा किसी प्रकार के विनियामक विलंब/ उल्लंघन के लिए कोई प्रभार या दंड नहीं लगाएगा।

(4) प्राधिकृत व्यापारी अपनी वेबसाइट पर एसओपी की मुख्य विशेषताओं और नीति का प्रकटीकरण करेगा ।

अनुबंध

निर्यात घोषणा फॉर्म

1. सामान्य जानकारी:		
निर्यात का प्रकार: माल/सेवा	फॉर्म संख्या:	
शिपिंग बिल नं. और तारीख :	परिवहन/सुपुर्दगी का तरीका: [ ] हवाई [ ]जमीनी [ ] समुद्र [ ] डाक/कूरियर [ ] इंटरनेट [ ] अन्य	
निर्यातक की श्रेणी: [ ] कस्टम (डीटीए इकाइयां) [ ]एसईज़ेड [ ] 100%ईओयू [ ] वेयरहाउस निर्यात [ ] अन्य (स्पष्ट करें)...	एडी कोड:	
आईई कोड: जीएसटीआईएन: पैन:	एडी का नाम और पता:	
निर्यातक का नाम और पता:	प्राप्ति का प्रकार: [ ] एल/सी [ ] बीजी [ ] अन्य (विदेश में रखे गए बैंक खाते में अंतरण/विप्रेषण सहित अग्रिम भुगतान, आदि)	
परेषिती का नाम और पता:	लदान का पोर्ट/एसईज़ेड के मामले में सोर्स पोर्ट:	
तीसरी पार्टी का नाम और पता (निर्यातों के लिए तीसरी पार्टी भुगतान के मामले में) निर्यातक और तीसरे पक्ष के बीच संबंध:	गंतव्य देश:	डिस्चार्ज का पोर्ट:
एलसी/बीजी के मामले में एडी का नाम और एडी कोड	लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तारीख:	
माल/सेवा का विवरण:		
कुल एफ़ओबी/सेवाओं का मूल्य शब्दों में (आईएनआर)		

2 ए. माल के निर्यात मूल्य^ का ब्योरा (शिपिंग बिल के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक बीजक (इन्वाइस) के लिए यह भाग दोहराया जाएगा)		
ग्राहक का नाम और पता:	बीजक सं. बीजक दिनांक बीजक मुद्रा	संविदा के संदर्भ में भुगतान की प्रकृति: [ ] एफओबी [ ] सीआईएफ [ ] सी एंड एफ [ ] सीआई [ ]

	बीजक राशि संविदा सं. और तारीख:	आवधिक [ ] माइल्स्टोन [ ] अग्रिम [ ] अन्य एचएसएन/सेवा लेखा कोड (एसएसी):
ब्योरे	**मुद्रा**	**राशि**
एफओबी/सेवा मूल्य		
भाड़ा/प्रेषण		
बीमा		
कमीशन		
बट्टा		
अन्य कटौती		
पैकिंग प्रभार		
पूर्ण निर्यात मूल्य / निवल वसूली योग्य निर्यात मूल्य		

2 बी. सेवाओं के निर्यात मूल्य^ का ब्योरा

एकाधिक प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं का ब्योरा

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ता का नाम और पता	देश	बीजक का विवरण				निवल वसूली योग्य मूल्य	संविदा संख्या, यदि कोई हो, और दिनांक	सेवाओं का ब्योरा	एसएसी कोड	टिप्पणियां
			सं.	दिनांक	मुद्रा	राशि					

3. एफपीओ/कूरियर के तहत निर्यात के लिए लागू

विदेशी डाकघर / कूरियर का नाम: पार्सल प्राप्ति की संख्या और तिथि:	प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर

4. निर्यातकों द्वारा घोषणा (सभी प्रकार के निर्यात)
मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ माल का/की विक्रेता/ सेवा प्रदाता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और क्रेता/तृतीय पक्ष से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य^ को दर्शाता है। मैं/हम यह वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये माल/सेवा के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपये, उपर्युक्त प्राधिकृत व्यापारी को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----------(दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूंगी/करेंगे/कर दिया है। मैं/हम इस प्रपत्र में घोषित निर्यात से संबंधित दस्तावेज, अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित होने पर, ऊपर नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने का भी वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं। दिनांक: (निर्यातक के हस्ताक्षर)
5. विनिर्दिष्ट प्राधिकरण (कस्टम/एसईजेड/एडी/एसटीपीआई) के उपयोग के लिए स्थान:
प्रमाणित किया जाता है कि 4 में की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित माल/सेवा का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य^ उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवासों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं। दिनांक: (कस्टम/ एसईजेड / प्राधिकृत व्यापारी/ एसटीपीआई के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

1. @ जो लागू न हो उसे कट दें।

2. ^ यदि निर्यात के समय पूर्ण निर्यात मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है, तो वह मूल्य जो निर्यातक, प्रचलित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पारदेशीय बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की आशा करता है।

3. यदि माल बिना किसी प्रतिफल के भेजा जाता है तो निर्यात मूल्य को शून्य दर्शाया जा सकता है।

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./614/2025-26]

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

Mumbai, 13th January, 2026

Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026

Notification No. FEMA 23(R)/2026-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8, sub-section (6) of Section 10 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016), except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, Reserve Bank of India makes the following Regulations, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force from October 01, 2026.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(a) "Act" means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) "Authorised Dealer" means a person authorised as an authorised dealer under sub- section (1) of Section 10 of the Act;

(c) "Export Declaration Form" (EDF) means the form given at Annex;

(d) "Project Export" shall have the same meaning as defined in the Foreign Trade Policy;

(e) "Software" means any computer programme, database, drawing, design, audio/video signals, any information by whatever name called in or on any medium other than in or on any physical medium;

(f) "Specified authority" means:

(i) Commissioner of Customs in Domestic Tariff Area (DTA) and Development Commissioner of Special Economic Zone (SEZ) in SEZ, for goods;

(ii) An Authorised Dealer in DTA and Development Commissioner of Special Economic Zone (SEZ) in SEZ, for services other than software; and

(iii) An Authorised Dealer or Software Technology Parks of India (STPI) in DTA, and Development Commissioner of Special Economic Zone (SEZ) in SEZ, for software.

Explanation. – For the purpose of these regulations, 'services' shall also include 'software'.

(2) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings as assigned to them in the Act or rules or regulations made thereunder.

3. Declaration of exports.- (1) An exporter of goods shall furnish to the specified authority, a declaration in the Export Declaration Form (EDF) specifying the amount representing the full export value of goods, at the time of export:

Provided that the EDF will be deemed to be submitted as part of shipping bill for goods exported through Electronic Data Interchange (EDI) port;

Provided further that a traveller moving personal effects (which are either accompanied or unaccompanied) from India shall not be treated as exporter for the purpose of these Regulations.

(2) An exporter of services shall furnish to the specified authority, a declaration in EDF specifying the amount representing the full export value of services, within 30 days from the end of month in which invoice for services has been raised, provided that:

(a) the exporter of services who has exported services to one or more recipients in a month, may submit a single EDF for all such exports;

(b) the exporter of services other than software, may submit an EDF on or before the date of receipt of payment;

(c) the Authorised Dealer may, on a request from the exporter citing reasons for delay, extend the period for submission of the EDF after satisfying itself about the reasonableness of the request.

(3) In the case of a non-EDI port for export of goods; or where the specified authority for export of services is other than an Authorised Dealer, the duly authenticated EDF, shall be forwarded by the specified authority to the respective Authorised Dealer.

4. Manner of Receipt and Payment.- (1) The receipts and payments for export and import of goods and services shall be in the manner specified in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2023, as amended from time to time.

(2) An Authorised Dealer shall make a credit or debit to the account of an exporter or an importer, for receipt of export or payment for import, only after having satisfied itself of the genuineness of the transaction, and shall, simultaneously close or update the respective entry in Export Data Processing and Monitoring System or Import Data Processing and Monitoring System (EDPMS or IDPMS)[2]:

Provided that in the case of export where the shipping bill (for goods) or invoice (for services) is up to ₹10 lakh (or its equivalent in foreign currency), entry in EDPMS may be closed based on a declaration from the exporter to the effect that the payment against the shipping bill / invoice has been realised either in full or otherwise. Alternatively, such declaration may be submitted by an exporter to the Authorised Dealer on a quarterly basis for bulk closure of entries in EDPMS;

Provided further that in the case of import where the Bill of Entry (for goods) or invoice (for services) is up to ₹10 lakh (or its equivalent in foreign currency), entry in IDPMS may be closed based on a declaration from the importer to the effect that the payment for import has been made either in full or otherwise. Alternatively, such declaration may be submitted by an importer to the Authorised Dealer on a quarterly basis for bulk closure of entries in IDPMS.

5. Time period for realisation of exports.- (1) The amount representing the full export value (or reduced export value in terms of Regulation 6 of these Regulations) of goods and services shall be realised (including by way of set off in terms of Regulation 7 of these Regulations) and repatriated by the exporter within the period specified below:

(a) fifteen months from the date of shipment in case of goods (other than goods exported to a warehouse outside India) and from the date of invoice in case of services;

(b) fifteen months from the date of sale of goods from the warehouse in case of goods exported to a warehouse outside India;

(c) as per payment terms of the contract, in case of project exports:

Provided that where the export of goods and services is invoiced or/and settled in Indian Rupees, the period for realisation and repatriation of full export value shall be eighteen months, from the date of shipment in case of goods (other than goods exported to a warehouse outside India), from the date of invoice in case of services, and from the date of sale of goods in case of goods exported to a warehouse outside India;

Provided further that the Authorised Dealer may, on request by an exporter citing reasons for the delay, allow extension of time for realisation of export proceeds beyond the specified period, if the Authorised Dealer is satisfied of the reasons cited.

(2) An Authorised Dealer shall put in place systems and processes to monitor and follow up with an exporter to realise export proceeds within the period specified above.

6. Reduction in the export realization.- An Authorised Dealer may, on request from the exporter citing reasons for under-realisation or non-realisation of full export value, allow reduction in realisation of export value, provided the Authorised Dealer is satisfied of the reasons cited:

Provided that where the export value is up to ₹ 10 lakh (or its equivalent in foreign currency) per shipping bill (for goods) or invoice (for services), the reduction of export value (including non-realisation of full export value) may be permitted based on a declaration from the exporter.

7. Set off of export receivables against import payables.- An Authorised Dealer may allow set-off of export receivables against import payables from/to the same overseas buyer or supplier or with their overseas group or associate companies, within the stipulated period for realisation of export proceeds or extended period, if any, allowed by the Authorised Dealer.

8. Third party receipts and payments.- An Authorised Dealer may permit third party (other than the parties undertaking export and import) receipts and payments for export and import transactions provided that the Authorised Dealer is satisfied with the bonafides of the transactions.

---

[2]EDPMS and IDPMS shall also refer to any other system specified by RBI, for the purpose.

9. Time period for making import payment.- An Authorised Dealer shall monitor its IDPMS entries and follow up with the respective importer for making payment for its imports within the period specified in the underlying contract:

Provided that the Authorised Dealer may, on request from the importer citing reasons for the delay, allow extension of time for making payment, beyond the period specified in the contract, if the Authorised Dealer is satisfied of the reasons cited.

10. Advance payment for exports and imports and delayed payment for imports.- (1) An exporter shall, in case of advance receipt for export, route the advance amount, and realisation of export proceeds, if any, through the same Authorised Dealer. However, an exporter may route the transactions through any other Authorised Dealer provided the exporter has intimated the change to both the Authorised Dealers.

(2) In case of advance payment for imports, an importer shall route the advance payment and its subsequent payments, if any, through the same Authorised Dealer. However, an importer may route the transactions through any other Authorised Dealer provided the importer has intimated the change to both the Authorised Dealers.

(3) An Authorised Dealer may permit advance remittance for import after satisfying itself of the genuineness of the requirement for advance remittance. The Authorised Dealer may consider specifying thresholds for advance payment, beyond which, the payment may require a standby Letter of Credit or a guarantee.

(4) An exporter, or an importer, as the case may be, shall ensure that interest payable, if any, on advance payment received for export, or on delayed payment for imports, shall not exceed the all-in-cost ceiling of trade credit in terms of the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, as amended from time to time.

11. Import of gold and silver.- Save as otherwise provided in the Act, Rules, Regulations or Directions made there under, and notwithstanding the provisions of these Regulations, no advance remittance shall be permitted by an Authorised Dealer for the import of gold or silver.

12. Import not materialised.- (1) Where an importer is unable to import within the contract period, or the extended period, the importer shall repatriate the advance payment made, if any.

(2) If the advance payment is not repatriated by the importer within the contract period or extended period, if any, allowed by the Authorised Dealer or where the IDPMS entry has not been marked-off in terms of Regulation 18(1)(j), any future advance payment for imports by the importer shall require an unconditional, irrevocable standby Letter of Credit or a guarantee from an international bank of repute or a guarantee of an Authorised Dealer in India, which is issued against a counter-guarantee of an international bank of repute.

13. Unrealised exports.- If the export proceeds of an exporter remain unrealised for a period beyond one year from the due date of realisation or extended period, if any, allowed by an Authorised Dealer, the exporter shall undertake further exports only against receipt of full advance or an irrevocable Letter of Credit.

14. Export of goods and services against repayment of State credits.- For the implementation of the provisions of the Inter banking arrangement, an Authorised Dealer shall adhere to instructions and directions issued by the Reserve Bank from time to time on export of goods and services against repayment of State credits granted by the erstwhile Soviet Union.

15. Project Export.- (1) An Authorised Dealer may permit receipts/ payments for project exports as per the underlying contract, after satisfying itself of the genuineness of the project.

(2) Subject to monitoring by an Authorised Dealer, a project exporter may deploy temporary cash surplus, generated outside India, from such exports, for investments in short-term instruments (with original or residual maturity of one year or less) including in treasury bills and in deposits with banks, outside India.

16. Merchanting Trade Transaction (MTT).- (1) A person undertaking Merchanting Trade, in accordance with the Foreign Trade Policy, shall ensure that:

(a) the period between the outward remittance and inward remittance or vice versa does not exceed six months:

Provided that the Authorised Dealer may, on request citing reasons for delay, allow extension of time, if the Authorised Dealer is satisfied of the reasons cited.

(b) outward remittances are sent only to the overseas seller and inward remittances are received only from the overseas buyer:

Provided that the Authorised Dealer may, on request from the customer citing reasons, allow receipt from and/ or payment to any third party, if the Authorised Dealer is satisfied of the reasons cited.

(c) the documents evidencing the MTT are provided to the Authorised Dealer, to establish the genuineness of the transactions.

(2) An Authorised Dealer shall:

(a) credit or debit the account of its customer for any cross-border transaction related to MTT after having been satisfied with the genuineness of the same and shall, simultaneously close or update the respective entry in EDPMS and/or IDPMS.

(b) monitor and follow-up with the person undertaking merchant trading to ensure that both the legs of the transaction are completed within the period and manner as specified in these Regulations.

17. International Trade Invoicing and Settlement in Indian Rupees (INR).- The Authorised Dealer may be guided by the extant guidelines on the broad framework as well as instructions issued by the Reserve Bank in this regard, from time to time.

18. Reporting.- (1) EDPMS (Export Data Processing and Monitoring System) and IDPMS (Import Data Processing and Monitoring System) -

An Authorised Dealer:

(a) shall enter details of EDF (of its customers) as received from non-EDI (Electronic Data Interchange) port in EDPMS within five working days of receipt of EDF.

(b) shall enter details of EDF of service (of its customers) in EDPMS within five working days of receipt of EDF from an exporter.

(c) shall enter details of import (of its customers) as received from non-EDI port in IDPMS within five working days of receipt of documents.

(d) shall enter details of import of service, in IDPMS, as declared and submitted by the importer, within five working days of receipt of documents.

(e) shall enter details of inward and outward remittances for all exports, imports and Merchanting Trade Transactions (MTT) in EDPMS and/ or IDPMS.

(f) shall monitor all transactions in EDPMS and IDPMS for closure of outstanding entries and follow-up with an exporter, an importer and person undertaking MTT for submission of documents for the same.

Mark-off/closure of entries:

(g) shall in the case of an export, mark-off the entry in EDPMS after ensuring that the export value has been realised.

(h) shall in the case of an import, mark-off the entry in IDPMS after ensuring that the payment for the import has been made.

(i) may on request by an exporter citing reasons, close the entry relating to export advance transactions in EDPMS, where no export has been made and where refund of such advance is not possible, after having been satisfied of the genuineness of the reasons cited.

(j) may on request by an importer citing reasons, close the entry relating to import advance transactions in IDPMS, where no import has taken place and where repatriation of such advance is not possible, after having been satisfied of the genuineness of the reasons cited.

(k) may on the request of importer, close the entry in IDPMS where import transaction has been settled at reduced value, after having been satisfied of the genuineness of the reasons cited.

(l) shall in the case of an MTT, close or update the respective entry in EDPMS and IDPMS after making the receipt and payment for both legs of the MTT.

(2) An Authorised Dealer shall report all foreign trade transactions in Foreign Exchange Transaction Electronic Reporting System (FETERS) in terms of extant guidelines issued by the Reserve Bank from time to time.

19. Internal Policy and Standard Operating Procedure (SOP) for handling transactions.- (1) An Authorised Dealer shall put in place a separate, comprehensive, well-documented internal policy and SOP, for handling transactions (including the reporting thereof) related to export and import of goods and services as well as MTT, in accordance with the Act, and Rules, Regulations and Directions issued thereunder. The policy should at least include the following:

(a) List of documents, timelines and charges for each process and approval.

(b) Extension of the time-period for export realisation and repatriation / import payments.

(c) Adjustment (under, over and non-realisation) of export proceeds to be realised and repatriated.

(d) Advance receipts for exports and advance payments for imports.

(e) Delegation of powers for internal approvals for each process.

(f) Export factoring and import factoring.

(2) While laying down internal policy and SOP, an Authorised Dealer shall ensure that the responsibility for approving transactions is clearly delegated across internal levels. The policy and SOP shall also have an escalation process for handling customer grievances and an appeal mechanism wherein the appeal is handled at a higher internal level. The higher internal level should take a final decision based on the genuineness of the submissions made by the customer.

(3) An Authorised Dealer shall ensure that the charges levied for handling transactions and associated processes are reasonable and proportional to the services rendered. An Authorised Dealer shall not levy any charges or penalty on its constituent (exporter or importer or merchant trader) for any regulatory delay/violation by the constituent.

(4) An Authorised Dealer shall disclose policy and the main features of the SOP on its website.

Annex

Export Declaration Form

<table>
<tr><td colspan="4">1. General Information:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Type of export : Goods/Service</td><td colspan="2">Form No:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Shipping Bill No. & Date:</td><td colspan="2">Mode of Transport/Delivery: [ ] Air [ ] Land [ ] Sea [ ] Post/Couriers [ ] Internet [ ] others</td></tr>
<tr><td colspan="2">Category of Exporter: [ ] Custom (DTA units) [ ] SEZ [ ] 100% EOU [ ] Warehouse export [ ] others (Specify).......</td><td colspan="2">AD code:</td></tr>
<tr><td colspan="2">IE Code:

GSTIN:

PAN:</td><td colspan="2">AD Name & Address:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Exporters Name & Address:</td><td colspan="2">Mode of Realisation : [ ] L/C [ ] BG [ ] Others (advance payment, etc. including transfer/remittance to bank a/c maintained overseas)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consignee Name & Address:</td><td colspan="2">Port of Loading / Source Port in case of SEZ :</td></tr>
<tr><td colspan="2">Third Party name & Address (In case of third Party Payments for Exports)

Relationship between Exporter & Third Party:</td><td>Country of Final Destination:</td><td>Port of Discharge:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Name of the AD and AD code, in case of LC/BG</td><td colspan="2" rowspan="2">Date of Let Export order (LEO):</td></tr>
<tr><td colspan="2">Description of Goods/Services:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total FOB/Services value in words (INR):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2A. Details of Export Value^ of Goods (This part shall be repeated for each invoice drawn under a shipping bill)</td></tr>
<tr><td>Client Name & Address:</td><td>Invoice No.

Invoice date.

Invoice Currency:</td><td colspan="2">Nature of payment in terms of Contract:

[ ] FOB [ ] CIF [ ] C&F [ ] CI [ ] periodical [ ] milestone [ ] advance [</td></tr>
</table>

	Invoice Amount: Contract No. and Date:	] others HSN/Service Accounting Codes (SAC):
Particulars	**Currency**	**Amount**
FOB/Services Value		
Freight/Transmission		
Insurance		
Commission		
Discount		
Other Deduction		
Packing Charges		
Full export value / Net Realisable export value		

2B. Details of Export Value^ of Services

Details of services provided to multiple recipients

S. No.	Service recipient Name & Address	Country	Details of Invoice				Net Realisable value	Contract No., if any, and Date	Description of services	SAC Code	Remarks
			No.	Date	Currency	Amount					

3. Applicable for Export under FPO/Couriers

Name of the Foreign post Office/Courier: Number & date of Parcel receipts:	Stamp & Signature of Authorised Dealer

4. Declaration by the Exporters (All types of exports)

I /We hereby declare that I/we @am/are the seller/consignor of the goods/ provider of services in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that the value to be received from the buyer/third party represents the export value^ contracted and declared above. I/We undertake that I/we have delivered/ will deliver to the authorised dealer named above the foreign exchange / Indian Rupees representing the full value of the goods/services exported as above on or before....................... (i.e. within the period of realisation stipulated by RBI from time to time) in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

I/We also undertake to submit the documents pertaining to exports declared in this form, to the Authorised Dealer named above, as may be required under the Act.

Date: (Signature of Exporter)

5. Space for use of Specified Authority (Custom/SEZ/AD/STPI):

Certified, on the basis of above declaration at 4, that the goods/services described above and the export value^ declared by the exporter in this form is as per the corresponding invoice/gist of invoices submitted and declared by the exporter.

Date: (Signature of Designated/Authorised officials of Custom /SEZ/ Authorised Dealer/STPI)

1. @ Strike out whichever is not applicable.
2. ^ If the full export value is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter, having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of the goods in overseas market.
3. Export value may be indicated as nil in case the goods are sent without any consideration.

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./614/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.15 13:06:25 +05'30'